

[ 2015 ] 12 एस. सी. आर 395

केंद्रीय आयुक्त उत्पाद शुल्क, चेन्नई

बनाम

एम/एस नेबुला हेल्थ केयर लिमिटेड।

(2007 की सिविल अपील सं. 2789)

27 अक्टूबर, 2015

[ए. के. सीकरी और रोहिंटन फली नरीमन, न्यायाधिपतिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: एसएसआई अधिसूचनाएँ-  
अधिसूचना सं 8/1999, 8/2000, 8/2001, 8/2002, 8/2003 गया:  
नौकरी के काम के आधार पर निर्धारिती द्वारा निर्मित तृतीय पक्ष की ब्रांडेड  
वस्तुओं के संबंध में एम. ओ. डी. वी. ए. टी./सेनवेट क्रेडिट का लाभ उसे  
उनके द्वारा अपने खाते में निर्मित वस्तुओं के लिए एस. एस. आई.  
अधिसूचनाओं का लाभ उठाने से वंचित नहीं करेगा।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1. एक एस. एस. आई. इकाई की अधिसूचना का लाभ उठाने के  
लिए, केवल घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी को ध्यान में रखा जाना चाहिए,

सिवाय उन मामलों को छोड़कर, जहाँ यह स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली मंजूरी के सम्बंध में, उन्हें योजना के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि- (अ) उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी के समेकित मूल्य निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है, (ब) तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम या व्यापार नाम, भले ही एस. एस. आई. इकाई द्वारा निर्मित हों, किसी छूट के लिए पात्र नहीं हैं और उस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट है कि जहाँ तक एस. एस. आई. द्वारा नौकरी के आधार पर तृतीय पक्ष की ब्रांडेड वस्तुओं के निर्माण का सम्बंध है, उनसे इस आशय से भिन्न तरीके से निपटा जाना है कि वे छूट के दायरे में नहीं आते हैं जिन पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद शुल्क देय है। क्रमशः, यह भी है कि विनिर्माता द्वारा ऐसी ब्रांडेड वस्तुओं के निर्माण पर एक बार उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो उस ब्रांड नाम का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से हो जाता है, नौकरी के आधार पर, एस. एस. आई. इकाई उन निवेशों पर एमओडीवीएटी /सेनवैट क्रेडिट का हकदार होगा के लिए उपयोग किया गया था, जिन्हें ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने के लिये प्रयुक्त किया गया था क्योंकि उन निवेशों पर भी उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था। ये तृतीय पक्षों के लिए एसएसआई इकाइयों द्वारा निर्मित ब्रांडेड सामान उत्पाद शुल्क कानून के सामान्य प्रावधानों द्वारा विनियमित होते हैं और जहाँ तक एसएसआई

इकाइयों द्वारा निर्मित अपने स्वयं के उत्पाद के संबंध में उन छूट अधिसूचनाओं का लाभ हैं लेने का सवाल है इन प्रावधानों का कोई प्रभाव या प्रासंगिकता नहीं होगी। न्यायाधिकरण ने विवादित फैसलों में इन दोनों अपीलों ने इस मुद्दे का सही निर्णय लिया है। [ पैरा 17,18] [419-बी-एच; 420-ए]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद बनाम रमेश खाद्य उत्पाद 2004 (174) ई. एल. टी. 310 (एस. सी.); फरीदाबाद टूल्स प्रा. लिमिटेड बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1993 (63) ई. एल. टी. 759; कमानी खाद्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर 1995 (75) ई. एल. टी. 202; खारिया सीमेंट वर्क्स बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1989 (42) ईएलटी 696 (न्यायाधिकरण)- संदर्भित किया गया।

#### मामला कानून संदर्भ

2004 ( 174 ) ई. एल. टी 310 (एस. सी.)	संदर्भित गया	किया	पैरा 13
1993 ( 63 ) ई. एल. टी 759	संदर्भित गया	किया	पैरा 13
1995 ( 75 ) ई. एल. टी. 202	संदर्भित गया	किया	पैरा 13
1989 ( 42 ) ई. एल. टी. 696 9 ट्रिब्यूनल	संदर्भित गया	किया	पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 2789/2007

सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई के अपील सं. ई/1034/05 में निर्णय और आदेश सं. 829/06 दिनांकित 22.08.2006 से।

**के साथ**

2009 का सी. ए. सं. 1142

ए. के. सांघी, पी. के. मलिक, बीनू टम्टा, राजीव सिंह, अपीलार्थी की ओर से।

बी. कृष्ण प्रसाद, सोमा मलिक, एस. जय कुमार, निखिल नय्यर, एन. साई विनोद, अपर्णा हिरंदगी, संदीप नारायण, अशोक बन्निदिन्नी, एम. एच. पाटिल, एम / एस. नारायण एंड कंपनी उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सीकरी, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. ये अपीलें अधिसूचना सं 8/1999, 8/2000, 8/2001, 8/2002 और 8/2003 के तहत लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए (संक्षेप में, 'एस. एस. आई. इकाइयाँ') के लिये प्रदान की जाने वाली उत्पाद शुल्क से रियायत/छूट की पात्रता का मुद्दा उठाती हैं। इस बात पर विवाद नहीं है कि

इन अपीलों में 'उत्तरदाता-निर्धारिती उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत' एस. एस. आई. का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। हालांकि, अपने खाते में वस्तुओं के निर्माण के अलावा, वे नौकरी कार्य के आधार पर कुछ अन्य दलों के लिये कुछ अन्य वस्तुओं के निर्माण का काम भी कर रहे हैं। तीसरे पक्षों के लिए निर्मित माल उन तीसरे पक्षों के ब्रांड नाम धारण करती हैं और तीसरे पक्ष के लिए निर्मित ऐसी वस्तुओं के सम्बंध में, निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क के सामान्य शुल्क का भुगतान किया लेकिन साथ ही एमओडीवीएटी/सेनवेट क्रेडिट का भी लाभ उठाया। इस प्रकार, संक्षेप में कहें तो असली मुद्दा यह है कि क्या नौकरी कार्य के आधार पर निर्धारिती द्वारा निर्मित तीसरे पक्ष के लिये ब्रांडेड वस्तुओं के आधार पर एमओडीवीएटी/सेनवैट क्रेडिट का लाभ उन्हें उपरोक्त अधिसूचनाओं में प्रदत्त लाभ उठाने से वंचित कर देता है?

3. 2007 की सिविल अपील संख्या 2789 में निर्धारिती दवाओं के निर्माता है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (इसके बाद "सी. ई. टी. ए., 1985" के रूप में संदर्भित) की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 30 के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा, यह तृतीय पक्षों से संबंधित ब्रांड नाम के तहत दवाओं का निर्माण कर रहा है, अर्थात्, मैसर्स रूट्स फार्मा हाउस (पी) चेन्नई, मैसर्स सतवेन एंड मेर चेन्नई, मैसर्स टिकल फार्मा, चेन्नई मैसर्स. श्युलु इंडिया, कृष्णागिरी और मैसर्स एआरके मेडिकेयर,चेन्नई। निर्धारिती द्वारा स्वयं के खाते में निर्मित वस्तुएँ स्वयं का

ब्रांड नाम धारण करती हैं और तीसरे पक्षों द्वारा निर्मित वस्तुएँ उनका निर्धारित ब्रांड नाम धारण करती हैं। विचाराधीन अवधि के दौरान, यानी 1999 से 2003- 2004 तक- निर्धारिती ने एसएसआई छूट अधिसूचनाओं का लाभ उठाया था जो लागू थीं, अर्थात अधिसूचना संख्या। 8/1999 आदि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। निर्धारिती के अपने स्वयं के खाते द्वारा निर्मित वस्तुओं यानी अपने स्वयं के ब्रांड नाम के धारण करने वाले माल के संबंध में इन अधिसूचनाओं कस लाभ उठाते हुए उक्त माल को बिना किसी भी उत्पाद शुल्क का भुगतान किये मंजूरी दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ, दूसरी ओर, इस ठीक इसी अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा निर्मित तृतीय पक्ष के ब्रांड नाम वाले माल के संबंध में इसने उस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। इसके साथ ही इसने इन ब्रांडेड उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले निवेश के सम्बंध में सेनवैट क्रेडिट का भी लाभ उठाया। इसका परिणाम यह हुआ कि पांच कारण बताओ नोटिस जारी हो गये जिनमें कहा गया है कि चूंकि निर्धारिती ने ब्रांडेड के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले निवेश के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था, इसलिये इसने उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत एसएसआई छूट के लाभ का दावा करने का अधिकार खो दिया था और इस प्रकार, अनुचित तरीके से शुल्कों के भुगतान से छूट का दावा किया। इन कारण दर्शाओ नोटिसों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं	एस. सी. एन. संख्या और तिथि	अवधि	शामिल ड्यूटी
1	1471 / 30.09.99	1999-2000	13,50,000 /
2	579 / 26.04.2001	2000- 2001	13,50,000 /
3	1979 / 26.12.2001	2001- 2002	16,00,000 /
4	588 / 08.04.2003	2002- 2003	15,99,904 /
5	वी/Ch.30/15/7/04 दि. 16.03.2004	2003- 2004	15,99,875 /

4. उपरोक्त मांग की संयुक्त आयुक्त के अपने आदेश-इन-ओरिजिनल दिनांक 17 जनवरी, 2005 द्वारा पुष्टि की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 25 के तहत दंड भी भी लगाया गया था। निर्धारिती की आयुक्त (ए) को की गई अपील व्यर्थ साबित हुई क्योंकि इसे आयुक्त (ए) ने आदेश दिनांकित 19 जुलाई, 2005 द्वारा खारिज कर दिया था। हालांकि दंड को रद्द करते हुए आंशिक छूट दे दी थी। इस परिणाम से असंतुष्ट होकर, निर्धारिती ने एक अन्य वैधानिक अपील के माध्यम केंद्रीय

उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "सी. ई. एस. टी. ए. टी". के रूप में संदर्भित) से संपर्क किया जिसमें यह सफल हुआ है क्योंकि सी. ई. एस. टी. ए. टी., चेन्नई पीठ निर्धारिती की अपील को अनुमति दे दी है।

5. 2009 की सिविल अपील सं. 1142 में निर्धारिती- मोटर वाहन के रबर के पुर्जों के निर्माण में लगे हुए हैं जो कि अधिनियम के अध्याय शीर्षक 8708.00 के तहत आते हैं। इस आधार पर कि वह एक एसएसआई इकाई होने के नाते अधिसूचना संख्या 1/9-सी. ई., दिनांक 28 फरवरी, 1993 के अनुसार छूट के लिए पात्र था उसने 1 मई, 1995 से प्रभावी ब्रांडेड वस्तुओं पर 15 प्रतिशत शुल्क और अपने उत्पादों के लिए पूरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट का दावा करने के लिये घोषणा पत्र दाखिल किया। उन ब्रांडेड वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था जो तीसरे पक्ष के लिए बनाया गई थी। हालांकि, इन वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश के संबंध में, निर्धारिती ने एमओडीवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाया। थे। निर्धारिती को यह कहते हुए तीन कारणदर्शक नोटिस जारी किये गये कि चूंकि उसने अधिसूचना संख्या 1/93-सी. ई. के तहत ब्रांडेड वस्तुओं के लिए एमओडीवीएटी सुविधा दाखिल को किया था, निर्धारिती अपने स्वयं के उत्पादों के संबंध में भी अधिसूचना छूट के लाभ का हकदार नहीं था। मूल-इन ऑरिजनल दिनांक 10 जुलाई, 1998 माँग की पुष्टि करते हुए पारित किया गया था। निर्धारिती द्वारा आयुक्त (अपील) को दायर



अपील में, निर्धारिती सफल हुए, क्योंकि उक्त अपील को 25 मार्च, 2003 के आदेशों द्वारा मूल आदेश को अलग रखते हुए और यह मानते हुए कि निर्धारिती एक साथ दोनों सुविधाओं यानी अन्य के ब्रांड नाम के साथ माल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले निवेश अपने स्वयं के ब्रांडेड सामानों के लिए एमओडीवीएटी क्रेडिट छूट का लाभ उठा सकता है अनुमति दी गई थी। इस आदेश को विभाग द्वारा सी. ई. एस. टी. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालाँकि, 12 जून, 2008 के विवादित आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया है, जिससे आयुक्त (अपील) का यह आदेश बना रहता है।

इस तरह विभाग ने न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देने वाली दो तत्काल अपीलें प्रस्तुत की हैं।

6. 1986 से, एसएसआई इकाइयों को, इन एस. एस. आई. इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पाद की प्रकृति के आधार पर, या तो किसी भी उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना या उन्हें रियायती शुल्क पर भुगतान करने की अनुमति देकर, उत्पाद शुल्क का लाभ दिया जा रहा है। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 175/86 सीई दिनांक 1 मार्च, 1986 के माध्यम से नंबर 1 सामान्य छूट को जारी किया गया था जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। इन संशोधनों के माध्यम से, लाभों को उठाने के लिए उत्पादित माल का मूल्य बढ़ रहा है। इसमें विवाद नहीं है कि हमारे सामने

दोनों निर्धारिती एसएसआई इकाइयों की योग्यता को धारण करते हैं। संशोधनों के माध्यम से, समय-समय पर कुछ अन्य योग्यता शर्तें भी प्रदान की गई हैं। उनमें से एक ऐसी शर्त/प्रावधान जिनसे हम अपीलों में सम्बद्ध हैं वह तीसरी पार्टियों की ब्रांडेड वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है।

7. जहाँ तक अधिसूचना संख्या 1/93-सी. ई. दिनांक 28 फरवरी, 1993 संबंधित का संबंध है, 30,00,000/- के मूल्य तक निर्दिष्ट माल की पहली मंजूरी के लिए छूट और निर्माता जिनके पास 3,00,00,000/ से अधिक मंजूरी नहीं है के मामले में परवर्ती मंजूरी के लिए छूट प्राप्त ड्यूटी-पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रदान किया गया था। पैराग्राफ 4 में इस अधिसूचना के अनुसार, यह कहा गया था कि उक्त अधिसूचना में निहित छूट किसी अन्य व्यक्ति के एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, चाहे पंजीकृत हो या नहीं। उक्त पैरा 4 निम्नानुसार है:

"4. इस उक्त अधिसूचना में निहित छूट किसी अन्य व्यक्ति के एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, (चाहे पंजीकृत हो या नहीं)।

बशर्ते कि इस अनुच्छेद में निहित कुछ भी उन निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू होगा जो किसी भी मशीनरी या उपकरण के घटक भाग या उपकरण और एक मूल उपयोग के लिए

एक कारखाने से साफ़ किया गया उक्त मशीनरी के निर्माण में उपकरण या उपकरण या उपकरण, हैं और –

(i) ऐसे मामले में जहां इस तरह निर्दिष्ट मंजूरी सामान की निकासी पहली मंजूरी के भीतर होती है, जिसका कुल मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में तीस लाख रुपये से अधिक मूल्य नहीं है, ऐसे निर्दिष्ट माल का निर्माता एक घोषणा करता है कि निर्दिष्ट माल का उपयोग ऊपर उल्लिखित रूप में किया जाएगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, उक्त नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

बशर्ते कि इस अनुच्छेद में शामिल कुछ भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग या राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग विकास निगम के ब्रांड नाम या व्यापार नाम धारी (पंजीकृत या नहीं) निर्दिष्ट माल पर लागू नहीं होगा।"

\* \* \* \*

इस अधिसूचना के अनुच्छेद में 1 निहित छूट के बावजूद, इस निर्माता के पास उक्त अनुच्छेद में निहित छूट का लाभ नहीं लेने और निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू दर पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए

एक विकल्प होगा, लेकिन उक्त अनुच्छेद 1 में निहित छूट, जिसके अधीन, इस शर्त पर कि ऐसा निर्माता लागू दर पर शुल्क का भुगतान करेगा लेकिन सभी पर उपरोक्त छूट के लिए ऐसे विकल्प का लाभ उठाने के बाद में दी गई निर्दिष्ट वस्तुओं की परवर्ती मंजूरी,, एक वित्तीय वर्ष में जिसमें ऐसी तारीख जिस पर विकल्प लागू होता है "।

8. इस अधिसूचना में कम से कम 11 स्पष्टीकरण शामिल थे। हमारे उद्देश्यों के लिए, स्पष्टीकरण सं III, IX और X प्रासंगिक हैं, और इसलिए, हम इन स्पष्टीकरणों को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं:

"स्पष्टीकरण III- पैराग्राफ 1,2 और 3 के तहत मंजूरी का कुल मूल्य की गणना के उद्देश्य से,, किसी भी निर्दिष्ट माल की मंजूरी, जिसमें दूस व्यक्ति रे का ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत या नहीं), जो इस अधिसूचना के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों की शर्तें छूट देने के लिए पात्र नहीं हैं, इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण IX- " ब्रांड नाम "या" व्यापार नाम ", का अर्थ एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम होगा (पंजीकृत या नहीं) इसका मतलब है एक नाम या एक निशान, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उपयोग ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में जो ऐसी

विनिर्दिष्ट वस्तुओं के बीच व्यापार के दौरान और कोई व्यक्ति जो ऐसे नाम पर मुकदमा कर रहा है या उसके साथ या उसके बिना कर रहा है उस व्यक्ति की पहचान का कोई संकेत इंगित करने का उद्देश्य, या किसी संबंध को इंगित करने के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण X- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, जहाँ निर्माता द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुएँ, अन्य निर्माता या व्यापारी का नाम और ब्रांड नाम (पंजीकृत हो या नहीं) धारण करती हैं, ऐसी विशिष्ट वस्तुओं के लिये, केवल उस तथ्य के कारण, ऐसा नहीं माना जाएगा कि अन्य निर्माता या व्यापारी द्वारा निर्मित किया गया है।"

9. उपरोक्त अधिसूचना को अधिसूचना सं. 8/1999-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित गई किया गया था जो नीचे पुनः प्रस्तुत तालिका के अनुसार उत्पाद शुल्क या शुल्क की रियायती दर पर माल निकासी से छूट प्रदान करता है:

(1) क्रम संख्या	(2) मंजूरी का मूल्य	(3) शुल्क की दर
1 .	कोई भी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के पहले दिन	शून्य

	या उसके निष्पादित पचास लाख रुपये से तक मूल्य की कुल मिलाकर पहली मंजूरी।	
2 .	ऊपर नंबर 1 के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये के समेकित मूल्य तक निर्दिष्ट वस्तुओं की सभी मंजूरी।	पाँच प्रतिशत विज्ञापन मूल्य
3 .	सभी मंजूरी जिनका उपयोग कारखाने के भीतर निर्दिष्ट वस्तु आगे के निर्माण के लिए किसी भी निर्दिष्ट वस्तु का निवेश के रूप में किया जाता है।	शून्य

10. इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में कुछ शर्तें दी गई थी जिनकी पूर्ति करने पर अधिसूचना लाभविकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है। हम इन अपीलों में जिन कुछ शर्तों से संबंधित हैं उन्हें नीचे दिया गया है -

"2. इस अधिसूचना में निहित छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी, अर्थात्:

एक निर्माता जो छूट का लाभ उठाना चाहता है उसे इस अधिसूचना के तहत पहली मंजूरी को लागू करने से पहले

इस अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए इस अधिसूचना के तहत लिखित में अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा और ऐसा विकल्प चुने गये विकल्प की तारीख से प्रभावी होगा। इस विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा सिवाय इसके कि जब अधिसूचना संख्या 9/99 सी. ई., दिनांक 28 फरवरी, 1999 के संबंध में विकल्प का प्रयोग किया जाता है। निर्माता के पास इस अधिसूचना में निहित छूट का लाभ न उठाने और इसके बजाय उसके द्वारा स्वीकृत माल पर शुल्क की सामान्य दर पर भुगतान करने का भी विकल्प होता है। इस तरह के विकल्प का प्रयोग शुल्क की सामान्य दर पर अपनी पहली मंजूरी के प्रभावी होने से पहले किया जाएगा। ऐसा विकल्प होगा वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा।

शर्त (i) के तहत विकल्प का प्रयोग करते समय, निर्माता लिखित रूप में सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या डिप्टी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को देने के साथ निम्नलिखित विवरण देते हुए सूचित करेगा, अर्थात्:

(क) निर्माता का नाम और पता;

(ख) कारखाने/कारखानों का/के स्थान;

(ग) निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेशों का विवरण;

(घ) उत्पादित विशिष्ट वस्तुओं का विवरण;

(च) जिस तारीख से इस अधिसूचना के तहत विकल्प चुना गया है;

(छ) विकल्प चुनने की तारीख तक निर्दिष्ट वस्तुओं की मंजूरी का कुल मूल्य (इस अधिसूचना का अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट मंजूरी के मूल्य को छोड़कर);

निर्माता सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 (इसमें बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 या नियम 11 के तहत इनपुट पर शुल्क के क्रेडिट का लाभ नहीं उठायेगा जो कि घरेलू उपभोग के लिए मंजूर निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए गए निवेश पर भुगतान किया गया है, जिसमें उक्त तालिका में निर्दिष्ट तरीका द्वारा कुल मिलाक गणना की गई पहली मंजूरी का मूल्य एक सौ लाख रुपये से अधिक नहीं है;



निर्माता उक्त नियमों के नियम 3 या नियम 11 के तहत उपरोक्त मंजूरीयों पर शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क के क्रेडिट का उपयोग भी नहीं करता है, जिसकी पहले मंजूरी का कुल मूल्य, जैसा कि उक्त टेबल में निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई है, एक सौ लाख रुपये से अधिक नहीं है।"

3. घरेलू उपयोग के लिये मंजूरी के समेकित मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य के लिये, निम्नलिखित मंजूरीयों पर विचार नहीं किया जायेगा अर्थात:

1) वह मंजूरीयां जो अन्य किसी अधिसूचना के तहत उन पर देय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं, (मंजूरी की मात्रा या मूल्य के आधार पर छूट के अलावा) या उन पर किसी अन्य कारण से उत्पाद शुल्क देय नहीं है।

2) किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली मंजूरी, जो नीचे दिए गए पैराग्राफ 4 के संदर्भ में यह छूट अनुदान के लिए अयोग्य है;

3) निर्दिष्ट वस्तुओं की मंजूरी जिनका उपयोग निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के कारखाने के भीतर किसी भी निर्दिष्ट

वस्तु के आगे के निर्माण के लिए निवेश के तौर पर किया जाता है ;

4) प्लास्टिक की पट्टियों की मंजूरी जिनस्का उपयोग कारखाने के भीतर कपड़ों की बुनाई या पॉलिमर या एथिलीन या प्रोपलीन से बने बोरे या थैले के निर्माण के लिए किया जाता है।

4. निम्नलिखित मामलों को छोड़कर इस अधिसूचना में निहित छूट किसी अन्य व्यक्ति का नाम, ब्रांड नाम या व्यापार वाली निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं,

(क) जहाँ निर्दिष्ट माल को, किसी भी मशीनरी या उपकरण के घटक या भाग या उपकरणों की प्रकृति में होने के नाते, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 का अध्याय X में प्रदान की गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त मशीनरी या घटक या उपकरण का निर्माण के लिये मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिए मंजूर कर दिया जाता है। बशर्ते कि वह निर्माता, जिनका ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं के घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी का कुल मूल्य उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट तरीके से गणना किए गए वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उक्त नियमों का अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय इस तरह का उपयोग के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं;

(ख) जहाँ निर्दिष्ट माल का ब्रांड नाम या व्यापारिक नाम हो-

(i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग; या

(ii) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; या

(iii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम; या

(iv) एक राज्य लघु उद्योग विकास निगम; या

(v) एक राज्य लघु उद्योग निगम।

11. इस अधिसूचना में 'ब्रांड नाम' 'या' व्यापार नाम ' की निम्नानुसार परिभाषा भी दी गई है:

"स्पष्टीकरण।- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए -

(क) "ब्रांड नाम" या "व्यापार नाम" का अर्थ एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम होगा, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, अर्थात् यह कहें एक नाम या एक निशान, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उपयोग ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में व्यापार के दौरान ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं और किसी व्यक्ति के बीच ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति की पहचान के साथ या उसके बिना एक संबंध को इंगित करने या इंगित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है।(ख) जहाँ एक

निर्माता द्वारा निर्मित निर्दिष्ट वस्तुएँ किसी अन्य निर्माता या व्यापारी, चाहे पंजीकृत या नहीं, का एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम धारण करती हैं, उक्त विनिर्दिष्ट माल, केवल उस तथ्य के कारण, ऐसा नहीं माना जायेगा कि उसे अन्य निर्माता या व्यापारी द्वारा निर्मित किया गया है।”

12. अन्य अधिसूचनाओं में, अर्थात् अधिसूचना संख्या। 9 /- सी. ई. 8/2000-सी. ई., 9 / 2000- सी. ई., 8 / 2001- सी. ई., 9 / 2001 8 / 2002- सी. ई., 9 / 2002- सी. ई., 8 / 2003- सी. ई. और 9/2003-सी. ई., ऐसा कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं है जिसका प्रभाव वर्तमान मामले पर है क्योंकि वह शर्तें जो हमारे उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं वह लगभग वैसी ही रही हैं। फिर भी, अधिसूचना संख्या 8/2003 दिनांक 1 मार्च, 2003 के पैरा 2,3 और 4 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

"2. इस अधिसूचना में निहित छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी, अर्थात्:

(i) निर्माता के पास इस अधिसूचना में निहित छूट का लाभ न उठाने और इसके बजाय उसके द्वारा स्वीकृत माल पर शुल्क की सामान्य दर का भुगतान करने का विकल्प होता है। इस तरह के विकल्प का प्रयोग शुल्क की सामान्य दर

पर मंजूरी को प्रभावी करने से पहले किया जाएगा। ऐसा विकल्प वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा;

(ii) शर्त (i) के तहत विकल्प का प्रयोग करते समय, निर्माता सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या डिप्टी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को देने के साथ निम्नलिखित कार्य करते हुए लिखित रूप में सूचित करेगा, अर्थात्:

- 1) निर्माता का नाम और पता;
- 2) कारखाने/कारखानों का/के स्थान;
- 3) निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश का विवरण;
- 4) उत्पादित निर्दिष्ट वस्तुओं का विवरण;
- 5) जिस तारीख से इस अधिसूचना के तहत विकल्प का चुनाव किया गया;
- 6) विकल्प चुने जाने की तारीख तक निर्दिष्ट वस्तुओं की मंजूरी का कुल मूल्य (इस अधिसूचना का अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट मंजूरी के मूल्य को छोड़कर)

(iii) निर्माता सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 (इसमें बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 या नियम 11 के तहत इनपुट पर शुल्क के क्रेडिट का लाभ नहीं उठायेगा जो कि घरेलू उपभोग के लिए मंजूर निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए गए निवेश पर भुगतान किया गया है, जिसमें उक्त तालिका में निर्दिष्ट तरीका द्वारा कुल मिलाक गणना की गई पहली मंजूरी का मूल्य एक सौ लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(iv) निर्माता उक्त नियमों के नियम 3 या नियम 11 के तहत उपरोक्त मंजूरीयों पर शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क के क्रेडिट का उपयोग भी नहीं करता है, जिसकी पहले मंजूरी का कुल मूल्य, जैसा कि उक्त टेबल में निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई है, एक सौ लाख रुपये से अधिक नहीं है।

1) जहाँ निर्माता निर्दिष्ट वस्तुओं को एक या अधिक कारखानों से मंजूर कर देता है, तो

मामले में छूट उक्त तालिका में उल्लिखित प्रत्येक मंजूरी के क्रमांक के अनुसार लागू होगी न कि प्रत्येक कारखाने के लिये प्रथक से।

2) जहाँ निर्दिष्ट वस्तुओं को कारखाने से एक या अधिक निर्माताओं द्वारा मंजूर किया जाता है, तो छूट उक्त तालिका में उल्लिखित प्रत्येक मंजूरी के क्रमांक के अनुसार लागू होगी न कि प्रत्येक निर्माता के लिये प्रथक से।

3) एक कारखाने से एक से या अधिक निर्माताओं द्वारा अथवा एक निर्माता द्वारा एक या अधिक कारखानों से निर्मित निर्दिष्ट वस्तुओं की गत वित्त वर्ष में समेकित मूल्य तीन सौ लाख करोड को पार नहीं करता है।

3. घरेलू उपयोग के लिये मंजूरी के समेकित मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य के लिये, निम्नलिखित मंजूरीयों पर विचार नहीं किया जायेगा अर्थात:

1) वह मंजूरियां जो अन्य किसी अधिसूचना के तहत उन पर देय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं, (मंजूरी की मात्रा या मूल्य के आधार पर छूट के अलावा) या उन पर किसी अन्य कारण से उत्पाद शुल्क देय नहीं है।

2) किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली मंजूरी, जो नीचे दिए गए पैराग्राफ 4 के संदर्भ में यह छूट अनुदान के लिए अयोग्य है;

3) निर्दिष्ट वस्तुओं की मंजूरी जिनका उपयोग निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के कारखाने के भीतर किसी भी निर्दिष्ट वस्तु के आगे के निर्माण के लिए निवेश के तौर पर किया जाता है ;

4) प्लास्टिक की पट्टियों की मंजूरी जिनका उपयोग कारखाने के भीतर कपड़ों की बुनाई या पॉलिमर या एथिलीन या



प्रोपलीन से बने बोरे या थैले के निर्माण के लिए किया जाता है।"

4. निम्नलिखित मामलों को छोड़कर इस अधिसूचना में निहित छूट किसी अन्य व्यक्ति का नाम, ब्रांड नाम या व्यापार वाली निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं,

(क) जहाँ निर्दिष्ट माल को, किसी भी मशीनरी या उपकरण के घटक या भाग या उपकरणों की प्रकृति में होने के नाते, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 का अध्याय X में प्रदान की गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त मशीनरी या घटक या उपकरण का निर्माण के लिये मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिए मंजूर कर दिया जाता है। बशर्ते कि वह निर्माता, जिनका ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं के घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी का कुल मूल्य उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट तरीके से गणना किए गए वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उक्त नियमों का अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय इस तरह का उपयोग के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं;

(ख) जहाँ निर्दिष्ट माल का ब्रांड नाम या व्यापारिक नाम हो-

(i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग; या

(ii) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; या

(iii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम; या

(iv) एक राज्य लघु उद्योग विकास निगम; या

(v) एक राज्य लघु उद्योग निगम।

(ग) जहाँ विनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण एक ग्रामीण इलाके में स्थित कारखाने में होता है।

13. उपरोक्त छूट अधिसूचनाओं से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इसी दौरान इस मोड़ पर बिना टिप्पणी किए, हम इस न्यायालय के कुछ उन निर्णयों की चर्चा करना चाहेंगे जिन पर इन अपीलों में निर्धारण के लिये उत्पन्न होने वाले मुद्दे के संदर्भ में इन अधिसूचनाओं पर विचार और व्याख्या की गई है। **केंद्रीय आबकारी आयुक्त, अहमदाबाद बनाम रमेश खाद्य उत्पाद** में, निर्धारिती अपने खाते पर 'रमेश' नाम से बिस्कुट का उत्पादन कर रहा था। वह नौकरी के आधार, मेसर्स हिन्दुस्तान कोको प्रोडक्ट्स, बॉम्बे की ओर से 'कैडबरी' का नाम के ब्रांड के तहत बिस्कुट का निर्माण भी कर रहा था। इसने कैडबरी ब्रांडेड बिस्कुट का निर्माण करते हुए उपयोग किए गए निवेश पर एमओडीवीएटी लाभ उठाया। विभाग ने इस स्थिति को लेते हुए कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया कि चूंकि निर्धारिती ने एम. ओ. डी. वी. ए. टी. लाभ उठा लिया था इसलिये उसे अपने स्वयं के संबंध में 'रमेश' ब्रांड वाले सामान पर भी अधिसूचना संख्या 175/86 का लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि, सहायक कलेक्टर ने यह कहते हुए कि निर्धारिती दोनों लाभों को ले सकता

है, इस मांग को खारिज कर दिया, कलेक्टर (अपील) ने यह अभिनिर्धारित करते हुए इसके विपरीत द्रष्टिकोण लिया कि निर्धारिती के लिए एक साथ एक शीर्षक में वस्तुएं चुनने और एक अन्य शीर्षक के संबंध में मोडवेट के सामान का विकल्प चुनने की सुविधा लेने की अनुमति नहीं थी। निर्धारिती की अपील पर सी. ई. जी. ए. टी. समक्ष निर्धारिती के पक्ष में निर्णय हुआ, सी. ई. जी. ए. टी. के उस निर्णय को इस न्यायालय के निर्णय ने पलट दिया। इस न्यायालय ने नोट किया कि सी. ई. जी. ए. टी. ने न्यायाधिकरण के एक अन्य निर्णय फरीदाबाद ट्रल्स प्रा. लि. बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर भरोसा किया था जिसे सी. ई. जी. ए. टी. की एक बड़ी पीठ द्वारा कमानी फूड बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था।

14. कमानी खाद्य मामले (ऊपर) में न्यायाधिकरण की चर्चा से व्यापक रूप से उद्धृत करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा; अधिसूचना 175/86 को समग्र रूप से पढा जाना चाहिये और जैसा कि ठीक ही उल्लेख किया गया है, खारिया सीमेंट वर्क्स मामले में (ऊपर) उपखंड (i) और (ii) का अर्थ सामंजस्यपूर्ण रूप से लगाया जाना चाहिए। निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए परिकल्पित छूट निर्माता के साधनों के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है। अधिसूचना में दोनों निर्माताओं की श्रेणियों का सीमांकन स्पष्ट रूप से किया गया था। नियम 57 ए के तहत मोडवेट क्रेडिट का लाभ उठाने वाले और दूसरा मोडवाट योजना का विकल्प नहीं

चुनने वाले निर्माता के एक बीच स्पष्ट रहा है। जैसा कि वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है, योजना के तहत निवेश शुल्क में राहत उन निर्माताओं को दी जाती है जो इसे योजना के तहत इसके लिए निर्धारित तरीके से आवेदन करके चुनते हैं। अंततः निर्माताओं के पास दो रियायतों में से एक को चुनने का विकल्प है, अर्थात् या तो मोडवाट योजना या अधिसूचना 175/86। इसके अलावा, मोडवाट योजना के तहत निवेश और अंतिम उत्पाद दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इसलिए लघु-स्तरीय योजना के तहत निर्माता को एक साथकुछ उत्पादों के लिए मोडवाट का लाभ उठाने और दूसरे उत्पादों के लिए लाभ का लाभ उठाने की अनुमति देना संभव नहीं है।

15. **रमेश खाद्य उत्पाद** में इस न्यायालय के निर्णय की कुछ मुख्य विशेषताएं जिन पर बल दिया जाना चाहिए इस प्रकार है:

(क) उस मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय वर्ष 1998 में था और इसने **फरीदाबाद टूल्स** मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया था, जिसका फैसला वर्ष 1993 में किया गया था, यह महसूस किए बिना कि उक्त निर्णय को **कमानी फूड्स** मामले में, जिसका निर्णय वर्ष 1995 में लिया गया था न्यायाधिकरण की एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित था कि न्यायाधिकरण की छोटी पीठ, इसके समक्ष आक्षेपित निर्णय को निपटाते हुए, न्यायिक औचित्य की मांग के अनुसार बड़ी पीठ के फैसले का पालन करने किये बाध्य थी।

(ग) कमान्नी फूड्स मामले में, न्यायाधिकरण की बड़ी पीठ ने खारिया सीमेंट वर्क्स का मामला बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर के अपने पहले के विशेष पीठ के फैसले को नोट किया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिसूचना सं. 175/ 1986 को समग्र रूप में पढ़ा जाना था और उपखंड (i) और (ii) का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार मामला, अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) के बीच परस्पर क्रिया तक सीमित था जो निम्नानुसार है:

"केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय (विभाग राजस्व) में सं. 85/85-केंद्रीय राजकोष, दिनांक 17, मार्च, 1985 में भारत सरकार अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए में केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दिये गये अनुलग्नक और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (यहाँ से आगे विनिर्दिष्ट वस्तुओं के रूप में संदर्भित) के तहत अनुसूची के अंतर्गत आने वाले

निर्दिष्ट विवरण की उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्माता द्वारा एक या अधिक कारखाने द्वारा घरेलू उपभोग के मंजूर वस्तुओं पर छूट प्रदान करती है-”

(ए) तीस लाख रुपये तक के कुल मूल्य तक की निर्दिष्ट वस्तुओं की पहली मंजूरी के मामले में,-

(i) ऐसे मामले में जहाँ निर्माता उक्त नियमों के नियम 57 ए के तहत घरेलू उपभोग के लिये निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किये गये इनपुट पर भुगतान किये गये शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाता है, उत्पाद शुल्क का इतना हिस्सा जो उस पर लगाया जाना है जो उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है [उक्त नियमों के नियम के 8 उप-नियम (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 [(1944 का 1) और जो फिलहाल लागू है] या धारा 5 ए की उप-धारा (1) के तहत जारी किसी भी प्रासंगिक अधिसूचना के साथ पढ़ें] जैसा कि 10 % विज्ञापन मूल्य की दर पर गणना की गई राशि के बराबर है:

(ii) किसी अन्य मामले में उस पर देय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क: से:

बशर्ते कि उक्त अनुसूची के किसी एक अध्याय के संबंध में इस खंड के उपखंड (ii) के तहत निर्दिष्ट माल की निकासी का कुल मूल्य, बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

(घ) उपरोक्त दो उपखंडों की सामंजस्य रूप से व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने **कमानी फूड्स** मामले को अपनी मंजोरी देते हुए कहा कि, यदि नियम 57 ए के तहत निर्धारिती द्वारा मोडवैट क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है, तो वह उक्त अधिसूचना के तहत उत्पाद शुल्क से छूट का हकदार नहीं होगा। विशेष रूप से, ये दो उपखंड निर्धारिती द्वारा अपने ब्रांड के साथ निर्मित माल से सम्बंधित है और उस स्थिति से नहीं निपटते हैं, जहाँ इसके अलावा, निर्धारिती/निर्माता नौकरी कार्य के आधार पर तीसरे पक्ष का माल का भी निर्माण करता है,। यह बिना कहे चला जाता है, और बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है, कि एसएसआई इकाई द्वारा निर्मित अपने स्वयं के सामानों के संबंध में, यह या तो उत्पाद या शुल्क सेनवैट क्रेडिट से छूट का दावा कर सकता है, और दोनों नहीं। यही अधिसूचना के पैरा 1 के खंड ए के उपखंड (i) और (ii) का स्पष्ट संदेश है।

(ङ) घरेलू उपभोग के लिये स्वीकृत वस्तुओं और तीसरे पक्ष के लिए नौकरी के काम के आधार पर निर्मित वस्तुओं के बीच अंतर और तथ्य कि सेनवैट क्रेडिट का लाभ केवल और तीसरे पक्ष के लिए निर्मित वस्तुओं के सम्बंध में लिया गया था, घरेलू ब्रांड के सम्बंध में नहीं, न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। अधिसूचना के अन्य प्रावधान जिनका इस मुद्दे से संबंध है, उन्हें भी न्यायालय के ध्यान में भी नहीं लाया गया।

वास्तव में, जैसे कि ऊपर उल्लिखित, न्यायालय मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित था कि न्यायाधिकरण ने फरीदाबाद ट्रस्ट मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया था, यह महसूस किए बिना कि कमानी फूड्स मामले में न्यायाधिकरण की एक बड़ी पीठ द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था। यह इंगित करना उचित होगा कि अपील पर एकतरफा निर्णय लिया गया था, अर्थात्, निर्धारिती की अनुपस्थिति जिसने उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना था। जैसा कि इस मुद्दे पर आगे ध्यान दिया जाए, यह अधिसूचनाओं के अन्य खंड हैं जो सही उत्तर प्रदान करते हैं।

16. हालाँकि, इन अपीलों में पूछा गया प्रश्न भिन्न है कि जहाँ निर्धारितियों ने अपने स्वयं के उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संबंध में किसी भी सेनवैट/ एमओडीवीएटी क्रेडिट का दावा नहीं किया है। यह सेनवैट क्रेडिट उनके द्वारा तीसरे पक्ष के लिए नौकरी के काम के आधार पर निर्मित वस्तुओं के सम्बंध में लिया जाता है जिसके लिये निर्धारिती ने स्वीकार्य रूप से उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। ऐसी परिस्थितियों में, क्या ऐसा निर्धारिती यहाँ तक कि घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं के संबंध में भी छूट अधिसूचना का लाभ खो देता है? इस सवाल का जवाब पैरा 1 के खंड (ए) के उपखंड (i) और (ii) में नहीं है। इसके लिए, विचाराधीन अधिसूचनाओं के अन्य पैराग्राफ को गौर से देखा जाना चाहिये। हम पहले से ही इन अधिसूचनाओं के उन प्रासंगिक पैराग्राफ को निकाल चुके हैं। हम, एक तुलनात्मक चार्ट के रूप में, उन अनुच्छेदों का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं:



अधिसूचना संख्या 175/86	अधिसूचना संख्या 8/99-सीई और 9/99 सीई
<p>पैरा 3 का प्रोविसो</p> <p>" बशर्ते कि इस अनुच्छेद के तहत मंजूरी के कुल मूल्य की गणना करने के उद्देश्यों के लिए, किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल मंजूरी जहाँ एक निर्माता निर्दिष्ट सामान को किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत हो या नहीं) के साथ चिपकाता है जो इसके लिये पात्र नहीं है, इस अधिसूचना के तहत छूट प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।</p>	<p>पैरा 3</p> <p>घरेलू उपभोग के लिये मंजूरी के कुल मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिये, निम्नलिखित मंजूरी को ध्यान में नहीं रखा जायेगा अर्थात,</p> <p>(ए) मंजूरी जिन्हें किसी अन्य अधिसूचना द्वारा उन पर देय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है (मंजूरी की मात्रा या कीमत के अतिरिक्त),</p> <p>(बी) मंजूरी किसी ऐसे अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम नहीं है जो नीचे दिये गये पैराग्राफ 4 के तहत छूट के लिये अनुदान के लिये अयोग्य हैं,</p>

<p style="text-align: center;">पैरा 7</p> <p>इस अधिसूचना में निहित छूट उन विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जहाँ एक निर्माता विनिर्दिष्ट वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत हो या नहीं) के साथ जोड़ता है जो इस अधिसूचना के तहत अनुदान के लिये पात्र नहीं हैं।</p>	<p>(सी) निर्दिष्ट वस्तुओं की मंजूरी जो निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के कारखाने के भीतर किसी भी निर्दिष्ट वस्तुओं के आगे के निर्णय के लिये इनपुट के रूप में उपयोग की जाती हैं;</p> <p>(डी) एथलीन या प्रोपलीन के पोलिमेर से बने बोरे या थैला के निर्माण के लिये उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की पट्टियों की कीमतें।</p> <p style="text-align: center;">पैरा 4</p> <p>इस अधिसूचना में निहित छूट निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाले निर्दिष्ट सामान</p>
---	--

<p>बशर्ते कि इस अधिसूचना में शामिल कुछ भी विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो किसी मशीनरी या उपकरण या उपकरणों के घटक भाग हैं और उक्त मशीनरी या उपकरण या उपकरणों के निर्माण के मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिये कारखाने से प्राप्त किये गये हैं उक्त नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।</p> <p>बशर्ते कि सिअ अनुच्छेद में शामिल</p>	<p>पर लागू नहीं होगी, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं,</p> <p>(ए) जहाँ ऐसे निर्दिष्ट सामान, जो किसी मशीनरी या उपकरण या उपकरणों के घटक या भाग की प्रकृति में है, को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उक्त मशीनरी या उपकरण या उपकरणों के निर्माण के मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिये मंजूरी दे दी जाती है।</p> <p>बशर्ते कि निर्माता, जिनके मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिये ऐसे निर्दिष्ट माल की घरेलू खपत के लिये महंगाई का कुल मूल्य एक वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, जैसा कि उक्त</p>
--	---

<p>कुछ भी विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जहाँ एक निर्माता विनिर्दिष्ट को राज्य लघु उद्योग विकास निगम या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत हो या नहीं) के नाम से चिपकाता है।</p> <p>स्पष्टीकरण 4</p> <p>इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये, जहाँ एक निर्माता द्वारा निर्मित निर्दिष्ट सामान, किसी अन्य निर्माता या व्यापारी के ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत हो या नहीं) के साथ चिपकाये जाते हैं, ऐसे निर्दिष्ट सामान क, केवल उस तथ्य के कारण, उस अन्य निर्माता</p>	<p>तालिका में निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई है, इस तरह के उपयोग के सम्बन्ध में उक्त नियम के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के स्थान पर एक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं।</p> <p>(बी) जहाँ विनिर्दिष्ट वस्तुओं का ब्रांड नाम या व्यापार नाम है-</p> <p>(i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग; या</p> <p>(ii) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम; या</p> <p>(iv) राज्य लघु उद्योग विकास निगम; या</p> <p>(v) राज्य लघु उद्योग विकास निगम</p> <p>पैरा 5 का स्पष्टीकरण बी</p>
---	---

<p>या व्यापारी द्वारा निर्मित नहीं माना जायेगा।</p>	<p>इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये, जहाँ एक निर्माता द्वारा निर्मित निर्दिष्ट सामान, किसी अन्य निर्माता या व्यापारी के ब्रांड नाम या व्यापार नाम के साथ चिपकाये जाते हैं, ऐसे निर्दिष्ट सामान क, केवल उस तथ्य के कारण, उस अन्य निर्माता या व्यापारी द्वारा निर्मित नहीं माना जायेगा।</p>
---	---

17. अन्य पैराग्राफ के प्रकाश में अधिसूचना का समग्र अध्ययन करने पर, समग्र योजना पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि, तृतीय पक्षों के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली मंजूरी, जो घरेलू उपभोग के लिए मंजूरीयों के कुल मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए इस छूट के अनुदान के लिए अयोग्य हैं, को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन अधिसूचनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें निहित छूट विशेष रूप से निर्धारित कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाले निर्दिष्ट माल पर लागू नहीं होती है, चाहे वह पंजीकृत या नहीं। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अधिसूचनाओं के उद्देश्य के लिये, जहां किसी निर्माता द्वारा

निर्मित माल ब्रांड नाम या व्यापार नाम (चाहे वह पंजीकृत या नहीं) का निर्माण व्यापार के किसी भी निर्माता, उन्हें ऐसे निर्माता या व्यापार द्वारा निर्मित नहीं माना जाएगा। अधिसूचनाओं में उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि एक एस.एस.आई. इकाई द्वारा अधिसूचना का लाभ उठाने के उद्देश्यों के लिए, केवल घरेलू उपभोग के लिये मंजूरी पर विचारा किया जाना है, सिवाय, उन मामलों को छोड़कर जहां यह स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, जहाँ तक तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली मंजूरी का संबंध है, उन्हें योजना के बाहर रखा जाता है क्योंकि: (ए) उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी के कुल मूल्य का समुच्चय निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए शामिल नहीं किया जाना है। और (बी) तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाले ऐसे उत्पाद, भले ही एसएसआई इकाई द्वारा निर्मित, किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं हैं और उस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार जब हम उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधिसूचनाओं की योजना को समझते हैं, जो हमारे अनुसार इसे समझने का एकमात्र तरीका है कि कि जहाँ तक एस. एस. आई. नौकरी के काम के आधार पर तीसरे पक्ष की ब्रांडेड वस्तुओं के निर्माण सम्बंध है,, उनसे अलग तरीके से निपटा जाना चाहिए इस अर्थ में कि वे इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आम तौर पर उत्पाद शुल्क देय होता है। अनुक्रमिक के रूप में, यह भी इस प्रकार है कि, एक बार ऐसे ब्रांडेड सामान पर निर्माता द्वारा

उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसका ब्रांड नाम किसी अन्य व्यक्ति का है, तो काम करने के आधार पर एसएसआई सेनवैट/मोडवैट क्रेडिट का, इकाई का हकदार होगा जिन इनपुट्स के लिए उपयोग ऐसे माल के निर्माण के लिये किया गया था, उन किया गया था, उन इनपुट्स पर भी उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था। इसे अन्यथा रखने के लिए, जहाँ तक एस. एस. आई. इकाइयों द्वारा निर्मित माल के सम्बंध में छूट अधिसूचनाओं का सवाल है ये तृतीय पक्षों के लिए एस. एस. आई. इकाइयों द्वारा निर्मित ये ब्रांडेड सामान उत्पाद शुल्क कानून के सामान्य प्रावधानों द्वारा विनियमित होते हैं और अपने स्वयं के निर्मित उत्पादों के संबंध में उन छूट अधिसूचनाओं का लाभ उठाने के मामले में इसका कोई असर या प्रासंगिकता नहीं है।

18. इस प्रकार, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने इन दोनों अपीलों में दिये गये विवादित निर्णयों में मुद्दे का सही निर्णय लिया है। स्वीकार्य रूप से, घरेलू उत्पादन के सम्बंध में, निर्धारिती ने एक साथ दो विकल्पों का लाभ नहीं उठाया था क्योंकि उन वस्तुओं के के संबंध में कोई सेनवैट क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है। ऐसा करते समय, न्यायाधिकरण ने **रमेश खाद्य उत्पाद** मामले में इस अदालत के फैसले पर ध्यान दिया है और उस का सही विश्लेषण किया है। हम न्यायाधिकरण के दिनांकित 22.08.2006 विवादित निर्णय(जो 2007 की सिविल अपील संख्या 2789 का विषय है) हैं में निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करते हैं;

"7. मंजूरी का कुल मूल्य की गणना के लिए प्रासंगिक अधिसूचनाओं में प्रावधानों में कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्तियों के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाले माल की मंजूरी, छूट देने के लिए अयोग्य हैं, को मंजूरी का कुल मूल्य निर्धारित करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अधिसूचना संख्या 8/2003 का लाभ उठाए बिना तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम वाले माल की मंजूरी का मूल्य छूट लाभ के लिये किसी भी वर्ष में एक सौ लाख रुपये के निकासी मूल्य की गणना के लिये नहीं गिना जाता है। इइन खंडों में निहित प्रासंगिक अधिसूचनाओं में, यह स्पष्ट है कि तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम वाले सामान अधिसूचना संख्या 8/2003 में निहित छूट के लिए पात्र नहीं थे। अधिसूचना संख्या 9/2003 में समान प्रावधान मौजूद था जहाँ मोडवाट लाभ प्राप्त करने और और शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई थी। तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम वाले सामान को अधिसूचना संख्या 9/2003 में भी छूट से बाहर रखा गया है। निर्धारित के ब्रांड नाम वाले सामान के सम्बंध में 8/99 और 9/99, 8/2000 और 9/2000 आदि किसी भी अधिसूचना में निहित लाभ का लाभ नहीं उठाया है।



8. हम पाते हैं कि विवादित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किये गये **रमेश खाद्य उत्पाद** मामले के अनुपात का भी समर्थन चाहता है। उस मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट वस्तुओं को मंजूर करने वाली एस. एस. आई. इकाइयों के लिये उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया और निर्णय लिया कि दोनों विकल्प अर्थात् मोडवैट और अधिसूचना संख्या 175/86 के तहत छूट निर्माता को पर्याप्त रियायतें प्रदान करते हैं; और निर्माता को एक विकल्प पर निर्णय लेना था। एक बार विकल्प बना लेने के बाद निर्धारिती को दोनों विकल्पों का एक साथ लाभ उठाने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए एक एस. एस. आई. इकाई कुछ निर्दिष्ट सामान के संबंध में अधिसूचना नं. 175/86 के अनुसार छूट का पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए कुछ अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में भी मोडवैट का लाभ नहीं उठा सकेगी।"

8.1 अधिसूचना सं. 175/86 दिनांकित 01.03.1986 ने निवेश पर मोडवैट क्रेडिट का लाभ उठाते समय साढ़े सात लाख रुपये मूल्य की निर्दिष्ट माल की पहली मंजूरी पर शुल्क की रियायती दर बढ़ा दी या मोडवैट क्रेडिट के लाभ के बिना ऐसी वस्तुओं के लिए। पूर्ण छूट लाभ बढ़ाया। अधिसूचना ने उच्च स्लैब/मंजूरी के दोनों विकल्पों के तहत उपरोक्त कुल मूल्य से

अधिक में आगे की मंजूरी के लिए कम लाभ भी प्रदान किया। दोनों विकल्पों के तहत छूट के उद्देश्य के लिये मंजूरी के कुल मूल्य की गणना में, अधिसूचना के लिए यह आवश्यक नहीं था कि तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम वाले माल को बाहर रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित व्याख्याएँ, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिसूचना के लिए उपरोक्त कुल मूल्य की गणना को नियंत्रित करते हैं।

स्पष्टीकरण IV- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जहाँ एक निर्माता द्वारा निर्मित निर्दिष्ट माल, किसी अन्य निर्माता या व्यापारी के ब्रांड नाम या व्यापार नाम(पंजीकृत या नहीं) के साथ चिपकाए जाते हैं, ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं को केवल कारणवश नहीं देना चाहिए, उस तथ्य का, ऐसा अन्य निर्माता या व्यापारी द्वारा निर्मित माना जाता है।

8.2 हालांकि उपरोक्त स्थिति उन अधिसूचनाओं में मौजूद है अधिसूचना 175/86 में निहित एस. एस. आई. इकाइयों के लिए शुल्क लाभ की योजना को प्रस्थापित कर दिया है, ऐसे माल के मूल्य को इन अधिसूचनाओं में कुल मूल्य की गणना से विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इस प्रकार तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम वाले माल की मंजूरी को एस. एस. आई. इकाइयों के लाभ के लिए जारी अधिसूचनाओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है।

XX      XX      XX

9.1 सभी जुड़वां अधिसूचनाओं में दोनों अधिसूचनाओं के दायरे से तीसरे पक्ष के ब्रांड नाम वाले माल को छोड़कर निम्नलिखित समान शर्तें शामिल हैं:

"3. घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी के कुल मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित मंजूरी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात्:

(अ).....

(बी) किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली मंजूरी, जो नीचे दिए गए अनुच्छेद 4 के संदर्भ में दी गई इस छूट के लिये अयोग्य है।"

4. निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अधिसूचना में निहित छूट ब्रांड नाम व्यापार नाम वाली निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पंजीकृत हो या नहीं.....,

उल्लिखित बहिष्करण ओ. ई. निर्माताओं के लिये विनिर्मित घटक, ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित माल, केवीआईसी आदि के ब्रांड नाम वाले सामान हैं। प्रासंगिक अधिसूचनाओं के पैरा 2 (iii) में निहित शर्त अधिसूचना 175/86 में विवाद का सार मौजूद नहीं था। जोड़े जाने के बाद अन्य नई शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक अधिसूचनाएँ अधिसूचना नं. 175/86 से अलग हैं।

10. इसलिए, रमेश फूड प्रोडक्ट्स में अधिसूचना संख्या 175/86 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात इसके (अधिसूचना सं. 175/86) रद्द होने के बाद विभिन्न वर्षों में जारी एसएसआई इकाइयों के लाभ के लिए छूट अधिसूचनाओं के जोड़े के दायरे को पढ़ने में लागू नहीं हो सकते हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रत्येक अधिसूचना का उसकी अपनी शर्तों पर सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। विषय मामला से जुड़ा मुद्दा मोडवेट क्रेडिट के लाभ के बिना छूट का विस्तार करने वाली प्रासंगिक अधिसूचना के दायरे की व्याख्या है। प्रासंगिक अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे द्वारा लिये दृष्टिकोण में, निर्धारिती ने प्रासंगिक अधिसूचना के तहत छूट का सही ढंग से लाभ उठाया था और विवादित आदेश गलत तर्क पर पारित किया गया है। इसलिए हम विवादित आदेश को रद्द करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं।”

19. हम, तदनुसार, दोनों निर्णयों में न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं, जिसका परिणाम इन अपीलों को खारिज करना है। तदनुसार आदेश दिया। हालाँकि, हर्जाना के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपीलें खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक बृजेश कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।